पूर्व सदस्यों को देय पेंशन एवं अन्य सुविधाएँ

पेंशन :

निरन्तर या अन्यथा पाँच वर्ष तक की किसी कालावधि के लिए रहा हो, 35,000/- रुपये की पेन्शन;

और उपर्युक्त पाँच वर्ष की कालावधि से अधिक निरन्तर या अन्यथा प्रत्येक वर्ष या उसके भाग के लिए एक हजार छह सौ रुपए की अतिरिक्त पेंशन प्रति मास संदत्त की जायेगी। यदि उसने 70 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो तो 20 प्रतिशत की वृद्धि और यदि उसने 80 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो तो 30 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी। आयु के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र देना आवश्यक होगा।

स्पष्टीकरण : उप चुनाव में निर्वाचित सदस्य की पेंशन अवधारित करने के प्रयोजनार्थ वर्षों की गणना उसके शपथ लेने की तिथि से विधान सभा के विघटन की तिथि को समाप्त होने वाली कालावधि को 5 वर्ष मानकर पेंशन लाभ दिया जाता है। इसी तरह विधान सभा का विघटन पाँच वर्ष से पूर्व होने पर उसकी अवधि भी पाँच वर्ष मानी जायेगी।

कौटुम्बिक पेंशन :

(1) पदकाल समाप्त होने से पहले सदस्य का निधन हो जाने पर उसके पति/पत्नी को ऐसे दिवंगत सदस्य को पदावधि के अनवासित भाग के लिए प्रतिमाह उस वेतन की जिसका कि ऐसा सदस्य तब हकदार रहा होता यदि वह जीवित रहा होता, के समतुल्य रकम की पेंशन दी जाती है।

(2) पूर्व सदस्य के निधन के पश्चात् उसकी पत्नी/पति को 17,500/- रुपये या सदस्य द्वारा अंतिम आहरित पेंशन के 50 प्रतिशत के बराबर, जो भी अधिक हो, प्रतिमाह कौटुम्बिक पेंशन प्रदान की जायेगी ।

चिकित्सा सुविधाएँ :

पूर्व विधायक को राजस्थान सरकार स्वास्थ्य स्कीम अन्तर्गत कैशलेस चिकित्सा उपचार/पुनर्भरण के लिए राज्य सरकार के प्रथम वर्ग की सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारियों के समान सुविधा उपलब्ध होगी।

कोटुम्बिक पेंशन प्राप्त करने वाले को भी राजस्थान सरकार स्वास्थ्य स्कीम अन्तर्गत कैशलेस चिकित्सा उपचार/पुनर्भरण के लिए राज्य सरकार के प्रथम वर्ग के सेवानिवृत्त अधिकारियों के समान सुविधा प्रदान की जायेगी।

यात्रा सुविधाएँ :

(क) पूर्व सदस्य को दो निःशुल्क अनन्तरणीय पास दिये जायेंगे जो उनके तथा उनके साथ यात्रा करने वाले किसी व्यक्ति को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम सेवा द्वारा किसी भी मार्ग पर संचालित होने वाली बसों के लिए प्रयुक्त किये जा सकेंगे। ऐसे पासों की संख्या एक कलैण्डर वर्ष में 200 तक सीमित होगी।

(ख) पूर्व सदस्य अकेले या किसी सहयात्री सहित भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर तथा मा. अध्यक्ष महोदय की पूर्वानुमति से विदेश यात्रा किसी वित्तीय वर्ष में अधिकतम एक लाख रुपये की सीमा तक रेल, वायुयान, पोत या स्टीमर से किसी भी श्रेणी में की गई यात्रा के वास्तविक किराये का पुनर्भरण प्राप्त कर सकेगा।

परन्तु किसी वित्तीय वर्ष में प्राप्त पुनर्भरण की कुल रकम एक लाख रुपये से कम है तो एक लाख रुपये की राशि से कम रह गयी राशि को एक वित्तीय के लिए अग्रनीत की जाएगी और द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर ऐसी अग्रनीत की अप्रयुक्त सम्पूर्ण राशि व्यपगत हो जाएगी।

(ग) किसी मृत्तक पूर्व सदस्य के पति/पत्नी को एक सौ यात्रा पास प्रतिवर्ष दिये जाएंगे जिससे वह राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की सेवा द्वारा किसी भी ऐसे मार्ग, जिस पर वह चलती हो, जगह की ऐसी श्रेणी में और ऐसी शर्तों के अध्यधीन इस निमित्त बनाये गये नियमों द्वारा विहित किया जाए, यात्रा करने का हकदार होगा।

अन्य सुविधाएँ :

1. **डाक बंगला** : पूर्व सदस्य राजस्थान स्थित राजकीय डाक बंगलों में महीने में अधिकतम 5 दिन तक ग्रुप 'सी' की देय रियायती दर पर ठहर सकते हैं।

2. पूर्व सदस्यों को राजस्थान स्थित समस्त विश्राम भवनों में रियायती दर पर एक माह में अधिकतम 5 दिन तक ग्रुप 'सी' की देय रियायती दर पर आवास एवं भोजनादि की सुविधा (गृह जिले को छोड़कर) होगी।

3. पूर्व सदस्यों को एक माह में अधिकतम तीन दिन नई दिल्ली स्थित राजस्थान हाउस में ठहरने की सुविधा ग्रुप-सी में निर्धारित देय दरों पर उपलब्ध होगी।

□□□

सत्यमेव जयते

राजस्थान विधान सभा

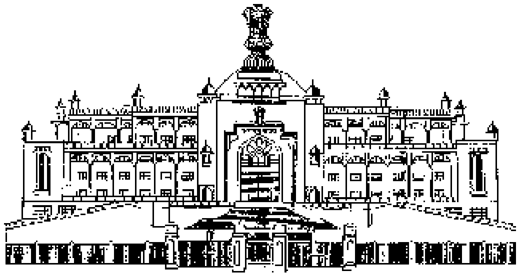

राजस्थान विधान सभा के सदस्यों एवं पूर्व सदस्यों के लिए सुविधाएँ

(अप्रेल, 2025)

***

राजस्थान विधान सभा सचिवालय

जयपुर

PENSION AND OTHER FACILITIES AVAILABLE TO EX-MEMBERS

Pension

An ex-member is paid for any period up to 5 years - whether continuous or not - a pension of Rs. 35,000/- per month; and beyond this period of 5 years, for every year or part thereof - whether continuous or not - an additional pension of Rs. 1600/- p.m. If an ex-member has attained the age of 70 years, his pension is increased by 20% and if he has attained the age of 80 years, his pension is increased by 30%. Submission of certificate about age is essential.

Explanation: For an ex-member elected in a bye-election, the period from the date of his oath to the dissolution of the Assembly is taken to be 5 years. If the House is dissolved before the completion of its 5 year term, such reduced term is taken to be of 5 years.

Family Pension

(1) On the death of a member before the completion of their tenure, their spouses are given monthly pension for the unexpired part of the tenure of the deceased member equivalent to the amount of salary which such a member would have been entitled to had he remained alive.

(2) On the death of an ex-member, their spouses are given monthly family pension of Rs. 17,500/- or equivalent to 50% of member's last drawn pension, whichever is more.

Medical Facility

Ex-members will be entitled to cashless medical treatment/reimbursement facility as provided to the retired officers of class I services of the state government under the Rajasthan Government Health Scheme.

Family pension recipients will also be entitled to same facility as provided to the retired officers of class I services of the state government for cashless medical treatment/ reimbursement under the Rajasthan Government Health Scheme.

Travel Facility

(1) Ex-members are provided two free-of-cost non-transferable passes which can be utilized by them or the person traveling with them for the bus services conducted by the Rajasthan State Road Transport Corporation on any route. Respective Passes counts would not be more than two hundred in year.

(2) Ex-member for self or for any companion can claim reimbursement of actual fare for the journeys undertaken by train, aeroplane, ship or steamer in any category within the territory and prior permission by hon'ble speaker for abroad journey of India or with prior approve of speaker foreign Journey up to a ceiling of Rs. 1,00,000/- in a financial year.

(3) On the death of an ex-member, their spouses are provided two free of cost non-transferable passes which be utilized by them or the person travelling with them for the bus services conducted by the Rajasthan State Road Transport Corporation on any route. Respective passes counts would not be more than one hundred in a year.

Other Facilities

(1) Dak Bungalow: Ex-members can stay in any Dak Bungalow situated within the State of Rajasthan for a maximum period of 5 days in a month at the concessional rate of group 'c'.

(2) Ex-members have the facility of boarding and lodging at all the Rest Houses situated within the State of Rajasthan (except their home districts) for a maximum of 5 days in a month at the concessional rate of group 'c'.

(3) Ex-members can stay in New Delhi situated Rajasthan House for a maximum period of 3 days in a month at the rates prescribed for group 'c'.

सत्यमेव जयते

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

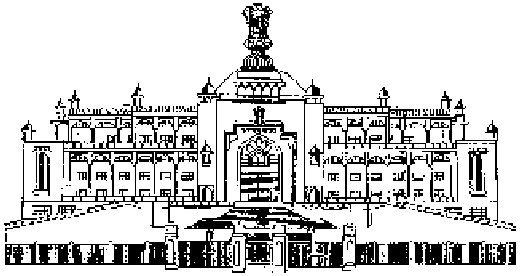

SALARY, ALLOWANCES, PENSION & OTHER AMENITIES AVAILABLE TO MEMBERS & EX-MEMBERS OF RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

(From April, 2025)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY
JAIPUR